



## Office of the District Basic Education Officer PRATAPGARH

## CERTIFICATE OF SCHOOL RECOGNITION

1. This is to certify that <u>BACHAI SINGH SHIKSHAN SANSTHAN, PHULWARI KATRA ROAD</u> <u>PRATAPGARH UP</u> is permanently recognized for Pre-Primary, Primary and Junior School(class 1 to 8). The Recognition number alloted to BACHAI SINGH SHIKSHAN SANSTHAN is <u>285763.</u> The applicable terms and conditions of the recognition of your school is annexed.

2. DATE OF ISSUE

06-06-2023(DD/MM/YYYY)

3. Recognition Type

4.School Type

Old

Pre-Primary, Primary and Junior School

5.Recognition No.

285763

DATE:- 06-06-2023 PLACE:- PRATAPGARH District Basic Education Officer Dete: 00 Contractuler Calid Dete: 00 Contractuler Calid Dete: 00 Code (164131 Restor: For Digital Signature Location: PRATAPGARH

Note : This Certificate is digitally signed and downloaded copy from Portal www.prernaup.in

Signed using www.Signer.Digital webLip

Bachal Singh Sikshan Sanch Fulwari-Katra Road, Pratapgarh (U.r.)

MANAG

कार्यालय—जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,प्रतापगढ

/2017-18 विनांक 03/05/1-)

बचई सिंह शिक्षण संस्थान फुलवारी कटरा रोड प्रतापगढ।

2057-63

विषयः-निःशुल्क और अभिवास बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिये निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लि मान्यता प्रमाण पन्न।

1. 1

महोदय / महोदया, 1 - N. M.

पत्रांक / मान्यता /

प्रबन्धक,

आप के आवेदना पांच दिलांग्रिलेल 26-08-2016 और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ प्रश्नवात्यर्ती पत्रका / निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से में बबई सिंह शिक्षण संस्थान फुलवारी कटरा रोड प्रतापगढ़ को तारीख 01-04-2017 तारीख 31-03-2020 तक लीन वर्ष की अवधि के लिये प्री प्राइमरी से कक्षा 08 तक (अंग्रेजी माध्यम) के लिये अनेत मान्यता प्रदान करने की संसूचना देवा हूँ।

उपरोक्त मंजूरी लिम्नुलिखित शर्तो के पूरा किये जाने के अध्यधीन है:-

मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात मान्यता/संबंधन कर 1-के लिये कोई बाध्यता, विवसित नहीं है।

- विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपाबंध 1) और निःशुल्क 2-अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 (उपाबंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।
- विद्यालय कक्षा 1 में (या यथारिश्वति नर्सरी कक्षा में), उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत 3---आस-पड़ोस के क्रमजोर वर्गों और सुविधा-विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
- पैसे 3 भें निर्दिष्ट बालकों के लिये विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के 4---प्रलिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तिया प्राप्त करने के लिये विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
- सोसाइटी / विद्यालय किसी कैप्रिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-5--या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।
- विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इनकार नहीं करेगा और 6--अधिनियम की धारा 15 के उपाधी का पालन करेंगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेंगा।
  - प्रवेश दिखे गर्थ किसी भी बालक को , विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक, किसी कता (i) फेल नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा।
  - किसी भी बालक को शासीरिक दंड या मानसिक उत्पीडन के अध्यधीन नहीं किया जाएगा। (ii)
  - प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा, उत्तीर्ण करने की अपेक्षा रु (iii) जाएगी।
  - प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किये गये अनराज (iv)एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जायेगा।
  - अधिनियम के उपनेध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त / विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्र (v) दिया जाना।
  - अध्यापको की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के 💎 (vi)की जाती है। पुरुद्ध यह और कि विद्यमान अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ होने न्यूनतम अर्हताये नहीं है, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हतायें अर्जित करेंगे।
  - अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है, और (vii)

(viii) अध्यापक स्वयं को किसी लिजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेगे।

विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा। विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाए रखेगा।

निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाए निम्नानुसार है:-

विद्यालय परिसार का क्षेत्रफला--कुल निर्मित क्षेत्र-'

कीडा स्थल का क्षेत्रफल--

8----

ACAD

PRINCIPAL

an Pra

40,000 00162 Ju Sin 1 5000 0500 34000 97552

MANAGER Bachai Singh Sikshan Sanst Fulwari-Katra Road, Pratapgarh (Cara)

कक्षाओं की संख्या-	
SIEU YIE AND	10
प्राध्यापक-सह कार्यालय-सह भाडागार के लिये कक्ष- बालक और बालिकाओं के लिये पृथक शौचालय- पेथजल सुबिधा-	03
पर्यजल साविध्य	å 8
सिंड-डे-मील जन्मक	書
A Searce water and a starter of the second s	ह
9- विद्यालय के परिसर्प के भीतर या उसके बाहर तिवालय के उपलय	धता –उपलब्ध है
जाएगा	गर-मान्यतापाप्त तथाए तटी जात
लिये किया जाता है।	और कौशल विकास के प्रयोजनी
Hullou of the starter of the	
दास या तत्समय प्रवृत्व किसी बिधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा 12- स्कूल को किसी व्यक्ति व्यक्ति के समह या संगम या किसी लोक न्यास द्वारा	अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइ
रपूल को किसा व्यक्ति व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्ही अन्य व्यक्तियों रहा है।	के लाभ के लिये नहीं चलाया
13- विद्यालय के लेखाओं की किसी जातीन अन्यतां	
किया जाना चाहिये तथा उचिन लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किये : की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को ओनी नामी नंधरे	चाहिये और उसके द्वारा प्रमाव
की एक प्रति पत्येक तर्ष विषय रेकिन के जिल्ला के ज	जान चाहिय। प्रत्यक लेखा विवर
	। से तोट कर ले और दस कार्यात
के साथ किसी पत्राचार के लिये इस संख्यांक का उल्लेख करे। 15- विद्यालय ऐसी किलेन को जान का उल्लेख करे।	A SHA WAR OF MILE SALE ANALS
अधिकारी हारा अपेक्षित हो और सुयसा प्रस्तुत करता है जो समय समय पर शिष्ठ	भा निदेशक/जिला बेसिक जिल
मान्यता सम्बंधी शती के सतन अनगानन को निर्णालन आप राजियारा पर १९	अनुदेशों का पालन करता है,
करने के लिये जारी किंग जगा है कि में पुगरपत परेंग ये। विधालय द	क कायकरण की कमियों को -
16- सोसाइटी के रजिस्टीकरण के नवीक पर नहीं हो है	
17— विभागीय आदेशों / निर्देशों की अवहेलना करने एवं तथ्यों को छिपाकर प्राप्त की अवहेलना करने एवं तथ्यों को छिपाकर प्राप्त की अधिकार विभाग के सक्षम अधिकारी के पास संरक्षित है।	गयी मान्यता को तापज होते र
अधिकार विभाग के सक्षम अधिकारी के पास सुरक्षित है। 18— संलग्न उपाबंध के अनुसार अन्य कोई शर्त।	नेता जन्मसा भग भाषता एति ५
۲. ۲. ۲. ۲. ۲. ۲. ۲. ۲. ۲. ۲. ۲. ۲. ۲. ۲	de a
	भवदीय
	CIL
	Antonio
	बी०एन०सिंह) जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

/ 2017-18 दिनांक ऊक्तवत,

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। 1-अपर शिक्षा निदेशक (बेसिक) उछा प्र0, रिक्का निवेशालय, इलाहायाद ।

2--सचिव,छ0प्र0,बेसिक शिक्षा परिषद,इलाहाबाद।

AC

PRINCIPAL

an Prat

3-सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक) इलाहाबाद मण्डल,इलाहाबाद।

4-जिला समाज कल्याण अधिकारी/मिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी/अल्पसंख्याक कल्याण अधिकारी प्रतापगढ। 5-खण्ड शिक्षा अधिकारी सदर प्रतायगढ़। 6-कार्यालय सुरक्षा पत्रावली हेल्।

TTS STR DIA

करता शेष, पुत्नावा

MANAGER

Bachai Singh Sikshan S Fulwari-Katra Road, Pratapsan

(बीउँएन०सिंह) जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रतापगढ़